

30.01.25

फावली पेश हुई / वकील प्रार्थी या प्रार्थी
व्यं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का यह
शुक्रवार अदम पेशी - अदम हाजिरी में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। फावली बाद
तरीब तकमील लेकर दायिले दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर जुलै-मायलय
में बुनाया गया।


(दीपक चन्दन)
R.A.S.